

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Anticipatory II Bail Application No.
9142/2026

CNR: RJHC010652582026 | URN: CRLMB / 19826U / 2026

Khushbu D/o Gopal Gadiya, Aged About 27 Years, Resident Of
Naya Bus Stand, Bassi, Police Station Bassi, District Chittorgarh,
Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

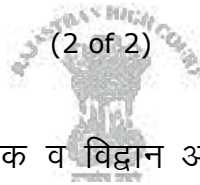
For Petitioner(s)	:	Mr. Zeeshan Ali Mr. Aslam Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Sri Ram Choudhary, PP Mr. Harendra Choudhary Mr. Ansarul Hak Mansuri

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/08/2026

01. प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से यह द्वितीय अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में प्रार्थिया/अभियुक्ता को झूठा फंसाया जा रहा है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के कारण मृतक अंकित सोनी द्वारा आत्महत्या की हो, ऐसा कतई माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता महिला है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर तफ्तीश किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता से कोई बरामदगी नहीं होनी है। प्रकरण के अनुसंधान में समय लगने की संभावना होना बताते हुए प्रार्थिया/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।



04. विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में प्रार्थिया/अभियुक्ता व मृतक अंकित सोनी की आपस में वार्तालाप लगातार काफी समय से हो रही थी और प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा मृतक को परेशान कर काफी राशि हड़प ली और अन्य व्यक्ति से सगाई नहीं करने के लिए बार-बार प्रताड़ित किया, इस वजह से आत्महत्या की गई। अतः इस आधार पर प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान व एकत्र किए गए रिकॉर्ड पर विचार किया गया। पत्रावली पर मृतक अंकित सोनी द्वारा समय-समय पर विभिन्न खातों से प्रार्थिया/अभियुक्ता को राशि स्थानांतरित किए जाने का विस्तृत विवरण रिकॉर्ड पर मौजूद है और कॉल डिटेल् के संबंध में एफएसएल में जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। गवाहान दीपक सोनी, प्रदीप सोनी, दिनेश सोनी, कैलाशचन्द्र व श्रीमती दुर्गा देवी के बयान पुलिस द्वारा लिए गए हैं और पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में प्रार्थिया/अभियुक्ता लगातार मृतक अंकित सोनी के सम्पर्क में रही, मृतक की सगाई अन्यत्र तय की गई, जिस पर दबाव बनाया, जिस पर दिनांक 2.11.2025 व 03.11.2025 की दरमियानी रात्रि को मृतक को लगातार विभिन्न कॉल व मैसेज किए गए और सगाई नहीं करने के लिए प्रताड़ित व तंग, परेशान किया, इस वजह से अंकित सोनी द्वारा आत्महत्या करना पाया गया।

06. अतः यह मामला गंभीर प्रकृति का है, जिसमें प्रार्थिया/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07. परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J